

भाग - 4 संशोधित अधिकारों का प्रत्यायोजन / मीडिया प्लानिंग / सरकारी सहायता / अधिकृत फिल्म निर्माण

क्रमांक	विषय वस्तु	प्राधिकारी	वर्तमान अधिकार	संशोधित अधिकार	टिप्पणी
1.	फीचर फिल्म निर्माण (स्वयं का) के खर्च की स्वीकृति जिसे बोर्ड ने अनुमति दी हो (लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति सहित).	महाप्रबंधक (फिल्म निर्माण)	---	स्वयं की फिल्मों के निर्माण के मामले में पूर्ण अधिकार	बशर्ते कि वह नीचे दिये गये नोट की शर्तों के अनुसार हो.

एस आई टिप्पणी नं-(1) ए). इस बात को सुनिश्चित करना कि फिल्म का निर्माण स्वीकृत बजट के अनुरूप ही हो.

बी). बजट के किसी भी उपशीर्षक में 15 प्रतिशत तक फेरबदल होने पर महाप्रबंधक की अनुमति आवश्यक है फिर चाहे ऐसे फेरबदल की भरपाई किसी दूसरे उपशीर्षक में हुए फेरबदल से हो जाने की वजह से फिल्म के कुल बजट पर कोई प्रभाव न भी पड़ता हो.

सी). अगर फिल्म का खर्च अनुमानित खर्च से इतना अधिक हो जाय कि फिल्म के कुल बजट पर उसका स्पष्ट असर दिखाई देने लगे तो इस अतिरिक्त खर्च के लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.

डी). 'रेखा से ऊपर के खर्च' (एजेंसियों को किये गये भुगतान) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.द्वारा सीधे ही किये जाएंगे.

ई). महाप्रबंधक द्वारा समय समय पर बजट की समीक्षा.

एफ). जो भी खर्चे किये जा रहे हों उनकी लाइन प्रोड्यूसर द्वारा समय समय पर समीक्षा. अगर यह लगता हो कि बजट की किसी एक मद का खर्च 15 प्रतिशत से अधिक हो रहा है तो उसके लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी फिर चाहे एक मद के बढ़े हुए खर्च की दूसरी मद से भरपाई क्यों न हो रही हो और इस तरह कुल बजट पर कोई फर्क न पड़ रहा हो

जी). लाइन प्रोड्यूसर चुनने और नियुक्त करने का विशेषाधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा. फिर भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्माण के सभी चरणों में काम सुचारु चल सके, लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति के लिये फिल्म के निर्देशक की सलाह ली जा सकती है.

एच). जो भी खरीदारी की जाय उसके लिये खरीदारी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये लेकिन फिल्म निर्माण के मामले में विभिन्न लोगों की सेवाएं लेने के लिये यह लागू नहीं भी हो सकता.

2.	फीचर फिल्म निर्माण / सहनिर्माण के खर्च की स्वीकृति बोर्ड से लेनी होगी. (इसमें लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति भी शामिल है.)	महाप्रबंधक (फिल्म निर्माण).		सह निर्माण के मामले में पूर्ण अधिकार	बशर्ते कि वह नीचे दिये गये नोट की शर्तों के अनुसार हो.
----	---	-----------------------------	--	--------------------------------------	--

--फिल्म के सह निर्माता और निर्देशक के साथ सलाह मशविरे के बाद लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति.

--सहनिर्माता के साथ सलाह मशविरे के बाद, नकदी के परस्पर सहमति से स्वीकृत प्रवाह के अनुसार खर्च करना / अपना हिस्सा देना.

--समय समय पर बजट की समीक्षा.

--जहां आवश्यक हो वहां खरीदारी की प्रक्रिया अपनाना.

3.	लाइन प्रोड्यूसर को अग्रिम भुगतान	महाप्रबंधक (फिल्म निर्माण).		पूर्ण अधिकार	लाइन प्रोड्यूसर को भुगतान / अग्रिम नकद प्रवाह / बजट के अनुरूप ही किया जाना चाहिये और वह भी पहले दिये जा चुके अग्रिम का हिसाब किताब ले लेने के बाद. सह निर्माण के मामलों में सह निर्माता की सहमति भी ली जानी चाहिये.
----	----------------------------------	-----------------------------	--	--------------	---

4.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. की अपनी फिल्मों के लिये बिक्री / लीज के नियत समय के अधिकारों का मुद्राकरण (मोनेटाइजेशन)	प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	तथापि, फिल्मों के अधिकार आउट राइट बेच देने के लिये निदेशक मंडल की स्वीकृति आवश्यक होगी.
5.	विभिन्न सेवाओं के शुल्क को स्वीकृति देना जिनमें प्रिव्यू थियेटर, प्रशिक्षण, सलाह सेवाएं आदि भी शामिल हैं	प्रबंध निदेशक	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	
6.	मंत्रालयों / कूटनीतिज्ञ साझेदारों के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर	प्रबंध निदेशक	उपलब्ध नहीं	पूर्ण अधिकार	
7.	विभिन्न करारनामों / कानूनी अनुबंधों / फिल्म निर्माण / वितरण / मीडिया / निर्यात तथा अन्य सहायक सेवाओं से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना.	मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष / क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख		पूर्ण अधिकार	--अनुबंध / समझौता पत्र सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, कानूनी जांच पड़ताल के साथ तैयार किया जाना चाहिये. --फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न अनुबंधों को स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी फिल्म निर्माण का प्रमुख माना जाएगा. -- उप अधिकार सक्षम अधिकारी के संपूर्ण अधिकारों

					के अंतर्गत ही प्रदान किये जा सकते हैं.
8.	फिल्म बाजार, परिसंपत्तियों के नवीनीकरण, थियेटर्स का निर्माण, जीर्णोद्धार के लिये सरकारी अनुदान, टैगोर आदि विशेष योजनाओं के लिये खर्च की स्वीकृति	नामांकन अधिकारी		पूर्ण अधिकार	--बजट की अनुमति (मदों के अनुसार) प्रबंध निदेशक द्वारा. अनुमति पत्र निदेशक (वित्त) के जरिये आना चाहिये. --प्रबंध निदेशक द्वारा / कार्यक्रमों / इवेंट्स की सिद्धांततः अनुमति. --खरीदारी प्रक्रिया अपनायी होगी.
9.	कमीशंड प्रोडक्शंस / विज्ञापनों के निर्माण तथा अन्य सहायक सेवाओं के लिये एजेंसी की नियुक्ति.	महाप्रबंधक /क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष		पूर्ण अधिकार	विशेष अनुमति प्रक्रिया / मार्गदर्शन / ग्राहक द्वारा दिये गये निर्देश (अगर कोई हों तो)
10.	गैर फीचर फिल्मों के निर्माण / कमीशंड निर्माण / अन्य सहायक सेवाओं के लिये स्वीकृत बजट की अनुमति.	महाप्रबंधक /क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागाध्यक्ष		पूर्ण अधिकार	--गैर फीचर फिल्मों के निर्माण / अन्य सहायक सेवाओं के बजट की इसी कार्य के लिये गठित कमेटी द्वारा स्वीकृति की शर्त पर --बजट / मीडिया

					<p>प्लान्स की ग्राहक द्वारा स्वीकृति की शर्त पर.</p> <p>--उप अधिकार सक्षम अधिकारी के संपूर्ण अधिकारों के अंतर्गत ही प्रदान किये जा सकते हैं.</p>
--	--	--	--	--	--